श्री सूरज प्रसाद : श्रीमन्, रिजर्व बैंक एपेक्स बैंक्स को 7 परसेंट रेट आफ इंटरेस्ट पर कर्ज देता है और एपेक्स बैंक्स सेंट्रल बैंक्स को 9 परसेंट पर देते हैं और सेंट्रल बैंक कोआपरेटिवस को 12 या 13 परसेंट पर देते हैं। तो रिजर्व बैंक का 7 परसेंट पर दिया हुआ कर्ज किसानों के पास पहुंचते-पहुंचते 12 या 13 परसेंट हो जाता है, बीच के जो इंटरमीडियरी हैं, एपेक्स बैंक और सेंट्रल बैंक जो महज पोस्ट आफिस का काम करते हैं वे इंटरेस्ट का काफी पैसा खा जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इस तरह का कर्ज रिजर्व बैंक सात परसेंट इंटरेस्ट पर देता है तो क्या आप किसानों को 10 या 11 या उससे कुछ कम 9-10 परसेंट पर किसानों को कर्ज देने के पक्ष में हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : पहले ही मैंने बताया कि हमारे हाथ की बात नहीं है। राज्य सरकारें ये रेट फिक्स करती हैं, एपेक्स बैंक तो सीलिंग फिक्स करते हैं रेट आफ इंटरेस्ट की।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता कि अभी जो बैंक हैं, उसमें कृषि विभाग का कहना है कि वह बैंक के हाथ में है इनके कंट्रोल में नहीं है तो किसानों को सीधे सुविधा मिले और किसानों को जो सुविधा दी जाये उसमें किसी तरह का बीच में कहीं गोलमाल न हो इसको देखते हुए क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि एक कृषि बैंक की ही स्थापना की जाय जिसमें दूसरे लोगों के साथ नहीं केवल किसानों के लेनदेन का सवाल हो, और आप उसकी दरियाफ्त करते रहें, जांचते रहे तथा किसानों के लिये कृषि बैंक की स्थापना कर दें ?

दूसरा, किसान जब ट्रैक्टर के लिये, पावर टिलर के लिये, उत्पादन के लिये कर्ज लेता है तो उस पर ज्यादा सूद आप लेते हैं और सरकारी अधिकारी जब कर्ज लेता है, एम्बेसेडर, फिएट, हवा गाड़ी, इम्पाला और कौन कौन सी गाड़ी खरीदने के लिये तो उसको कम दर पर सूद देते हैं। तो विलासिता की सामग्री पर कम सूद और जीवन की उपयोगिता की पूर्ति करके लिये जो कर्ज ले तो उस पर ज्यादा सूद लें, इसलिये, क्या इस पर भी आप विचार करेंगे कि किसानों को उसी रेट पर वह दें जिस रेट पर अधिकारियों को हवागाडी खरीदने के लिये देते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : एपेक्स एग्रीकलचरल बैंक तो अभी हो गया है नाबार्ड और जहां तक रेट की बात है, मैंने पहले ही बताया कि यह फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। हमारे पास उसके बारे में कुछ नहीं है, सिम्पली हम तो यहां जवाब ही देते हैं।

*364. [*The questioner (Shri Jagadish Jain) was absent. For answer vide cols. . infra.*

Working of Regional Passport Office, Lucknow

*365. SHRI HASHIM RAZA ABIDI ALLAHABADI:†
SHRIMATI KRISHNA KAUL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the normal time taken in issuing a passport to an applicant by the Passport Offices in the country;

(b) the number of applications lying pending in the Regional Passport Office, Lucknow for the last one year;

(c) whether Government are aware that the working of Lucknow Passport

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Hashim Raza Abidi Allahabadi.

Office is very unsatisfactory, if so, whether Government propose to conduct an enquiry in the matter; and

(d) the steps Government are taking to expedite the issue of passports in Lucknow Office?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) The normal time taken in issuing a passport to an applicant by the passport offices in the country is 5-6 weeks, if application is complete in all respects.

(b) As on 31st July, 1983, there were no pending applications, which were more than one year old.

(c) The working of the Passport Office, Lucknow, cannot be described as "very unsatisfactory" since this Office is issuing passports within a period of 4-5 weeks, which is less than the prescribed limit of 6 weeks for all Passport Offices in India

(d) Does not arise, since passports are already being issued expeditiously in keeping with the existing instructions.

श्री हाशिम रज़ा आबिदी इलाहाबादी : हमें अफसोस है कि मोहतरिम वजीर के जवाब से हम मुतमइन नहीं हुए। उन्होंने यह फरमाया है कि लखनऊ का रीजनल पासपोर्ट आफिस तकरीबन तमाम देश के रीजनल पासपोर्ट आफिस से बेहतर है।

हम उत्तर प्रदेश में रहने वालों का यह कहना है कि लखनऊ का रीजनल पासपोर्ट आफिस तमाम पासपोर्ट आफिसेज से बदतर है। वह इस लिये कि हमारे अपने तजुर्बात, हमारे अपने मुशाहेदात है और हम यह समझते हैं कि रीजनल पासपोर्ट आफिस आवाम के साथ इन्साफ नहीं कर रहा है। पासपार्ट आफिस लखनऊ में दो पासपोर्ट आफिसर्स बैठते हैं, एक रीजनल पासपोर्ट आफिस का आफिसर जोकि एक कटहरे में बैठता है, जहां की आवाम को पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है और एक पासपोर्ट आफिसर सड़क पर बैठता है जहां आवाम को पहुंचने में बहुत आसनी होती है और थोड़े से पैसे में काम हो जाता है।

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इन हकायात को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। हिन्दुस्तान में बेकारी है, उद्योग की कमी है हमारे हिन्दुस्तान के कितने ही लोग नौकरी करने के लिये विदेशों में जाते हैं और वहां से फारेन एक्सचेंज कमा-कमा कर के अपने परिवार को, अपने बच्चों को भेजते हैं, कितना हमारा फारेन एक्सचेंज बाहर से आता है, लेकिन जब एक मजदूर हन्दुस्तान से बाहर जाता है, तो उसको एक पासपोर्ट के लिये छः-छः महीने दौड़ना पड़ता है साल-साल भर दौड़ना पड़ता है और हमारे मंत्री जी ने बहुत इतमीनान से यह कह दिया कि एक साल से ज्यादा पुराना कोई रेकार्ड नहीं है।

बहहहाल, अब सवाल यह पैदा होता है कि जब उन्होंने कह दिया कि एक साल से ज्यादा पुराना रेकार्ड नहीं है, तो दो-तीन सवाल इसमें पैदा होते हैं।

पहला मसला यह है कि एक एप्लिकेंट को इन्क्वायरी के लिये जब वह दफ्तर जाता है, तो उस पर लिखा जाता है कि कार्यवाही—कायदा इनके यहां यह है कि एक इन्क्वायरी स्लिप है—एक आदमी गोरखपुर से लखनऊ आया उसने पांच छः महीने पहले एप्लीकेशन दी है। उससे कहा गया कि इन्क्वायरी स्लिप भरो। अब जब उसने इन्क्वायरी स्लिप भरी, तो शाम को पांच बजे जवाब मिलता है कि इस पर कार्यवाही हो रही है, यानी, गोरखपुर वापिस जाओ। फिर पन्द्रह दिन बाद वह गोरखपुर से आता है, फिर यही जवाब

मिलता है कि कार्यवाही हो रही है, फिर गोरखपुर वापिस जाओ। इनके लिये लाजमी है कि यह इत्तिला अब पोस्ट आफिस से भेजें और यह कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।

आप यह गौर फरमाइये कि उत्तर देश में इन्होंने बजाये लखनऊ में एक आफिस है एक आफिस अपना बरेली में भी खोल दिया। क्यों खोला, साहब? अगर अच्छा काम होता था, यह तो पोस्ट आफिस से पासपोर्ट जाते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं कि लोग वहां आयें और आने के बाद पासपोर्ट लें। लेकिन यह अपने काम से इतने ज्यादा गैर-मुतमईन थे, अपने काम को इतना नामुकम्मिल समझते थे कि इन्होंने पासपोर्ट आफिस, बरेली में भी खोल दिया और यह कहा कि हमने अवाम की आसानी के लिये किया है।

तो तो मैं यह अर्ज कर रहा था ... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना सवाल पूछिये।

श्री हाशिम रजा आबिदि इलाहाबादी: आप यह बताइये कि एम० पी० जो अटेस्टेशन करते हैं उस फार्म में और जो नान एम० पी० अटेस्टेशन करते हैं, उस फार्म में क्या डिपार्टमेंट में कोई फर्क समझा जाता है।

श्री सभापति : टाइम निकला जा रहा है और आप तो लम्बा किस्सा सुना रहे हैं। जवाब सिर्फ यही वह मांगते हैं कि एम० पी० के अटेस्टेशन से कोई जल्दी होगा काम या कि उतनी ही देर से होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव मैं समझता हूं कि एम० पी० साहेबान की सिफारिश के बाद जल्दी ही होना चाहिए। .. (व्यवधान) व्यवधान आपने यह कहा कि वहां का काम बहुत ही गैर इत्मिनानबक्स है। किस मामले में गैर-इत्मिनानबक्स है, हम नहीं जानते। हमने यह कहा कि जहां कि और पासपोर्ट आफिसेज में छः हफ्ते के अंदर पासपोर्ट दिया जाता है, यहां पर चार-पांच हफ्ते में हो रहा है। उस हिसाब से बेहतर लगता है।

श्री सभापति : आनरेबल मेम्बर साहब का कहना यह है कि साल भर एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सही नहीं है। हम यह कहते हैं कि छः हफ्ते के अंदर उन लोगों को दिया जा सकता है जिनके सारे फार्म मुकम्मिल हों। अब जिसका फार्म मुकम्मिल नहीं होगा, उसको मुकम्मिल करने में देर लगेगी ही। इसलिये जब वह आता है तो उससे कहा जाता है कि इसको पूरा करो और फिर से दे दो। अफसर उन फार्मों को अपनी तरफ से तो पूरा नहीं कर सकते। उन्हें पर्टिकुलर्स का पता नहीं होता।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह बात उसको डाक से बतायी जा सकती है कि तुम्हारा फार्म नामुकम्मिल है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह तो हम कर रहे हैं। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। उन को हिदायत यह है कि डाक से फौरन बतायें कि किस-किस में कमी है। यह बताया जा रहा है हर जगह। अगर लखनऊ में नहीं बताया जा रहा है तो आप मुझे लिख कर दीजिये। मैं उस की इंक्वायरी कराऊंगा और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके बारे में देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : यह तो सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल यह था कि एम० पीज की रिकमेंडेशन के बाद क्या पासपोर्ट जल्दी दिया जा सकता है ?

श्री सभापति : आप ने जवाब सुना नहीं। शुरू में ही इस का जवाब दिया जा चुका है।

श्रीमती कृष्णा कौल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मेरा माननीय मंत्री महोदय से अर्ज है कि हिन्दुस्तान के हर क्षेत्र से हर तबके के लोग वतन के बाहर, काम करने के लिए, व्यापार के लिए, कमाने के लिए, हज करने के लिए, तालीम या शिक्षा प्राप्त करने जाया करते हैं। आजादी के बाद से हमारा दायरा बहुत बढ़ा है और जाहिर है कि देश के बाहर जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है। माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि इस जरूरत के आधार पर जो लोग पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते हैं उन्हें साल-साल भर तक दौड़ाते रहने से क्या उनके साथ अन्याय हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों, किन कारणों से हुआ है ?

साथ ही क्या यह बात सही है कि कुछ दिन पहले लखनऊ में जाली पासपोर्ट बनाने का रेकट पकड़ा गया था और उनको लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट आफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त था। अगर ऐसा था तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में नम्बर आफ पासपोर्ट एप्लीकेशन्स रिसाव्ड 73502, 81029 और 82492 और जून से जुलाई तक 1983 में 50581 यह है एप्लीकेशन्स की तादाद। the number of passport applications pending in passport office, Lucknow as on 31st July was 6,000. Out of these 735 applications were pending for over three months and 465 applications were pending for over six months for non-submission of relevant documents by the applicants.

यह नहीं है कि उनको नहीं लिखा गया। पेंडिंग यहां है और एक-एक एप्लीकेशन को देखने पर ही पता लगेगा कि उन को लिखा गया है या नहीं या क्या लिखा गया है। अगर आप को यह शिकायत है कि नहीं लिखा जाता है तो आप हमें बता दीजिए हम एक-एक एप्लीकेशन की छानबीन करायेंगे कि लिखा जाता है या नहीं। जहां नहीं लिखा जाता है तो क्यों नहीं लिखा जाता है और इसके लिये जो जिम्मेदार होगा हम उसकी खबर लेंगे।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Flood Assistance to Orssa

*364. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the amount of the aid sanctioned by the Central Government to the State of Orissa for flood relief in 1983-84;

(b) the amount actually demanded by that State;

(c) what was the assessment of the losses made in the State due to floods; and

(d) the steps proposed for control of floods in future?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH): (a) and (b) No Central assistance has been sought by the State for flood relief in 1983-84. However the State have a spill over sanction of